सवाल नं० ...
शुल्क : 7-00
शब्द : 300...
वर्क : 02 ...

न्यायालय उपजिलाधिकारी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
वाद सं० 45/2019

आदर्श सोशल डेवलपमेन्ट ब्र० एवं प्रबन्धक डा० मिथलेश मणि त्रिपाठी

बनाम

उ० प्र० सरकार

धारा 80 उ० प्र० रा० संहिता :
बाबत मौजा - गौरा
टप्पा - ...
परगना - बांसी पूरब
तहसील - बांसी
जनपद - सिद्धार्थनगर ।

नकल आदेश उपजिलाधिकारी बांसी दि० 2-05-19

नोट : आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

कार्यालय उपजिलाधिकारी/... तहसील बांसी सिद्धार्थनगर

30-E
7.00
05-3-19

मण्डल:- बस्ती,जनपद:- सिद्धार्थनगर,तहसील:- बाँसी

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- **00588/2019**

आ0 सो0 डे0 ट्रस्ट प्र0 नि0 मिथिलेश मणि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-**T201917630200588**

अंतर्गत धारा:- **80**,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - **2006**

आदेश तिथि:- **02/03/2019**

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद आदर्श सोशल डेवलपमेन्ट ट्रस्ट अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक डा0 मिथिलेश मणि त्रिपाठी साकिन अहिरौली तिवारी तप्पा मसिना के प्रार्थना पत्र दिनांक 14-01-2019 पर प्रारम्भ हुआ, प्रार्थी का कथन है कि ग्राम गौरा तप्पा मसिना में गाटा सं0 189मि0/0.812 हे0 जरिये पंजीकृत हिब्बानामा प्राप्त कर संक्रमणीय भूमिधर है, उक्त आराजी में वाणिज्यिक मकान निर्माणाधीन है। कृषि कार्य नही होता है उक्त भूमि का प्रयोग अकृषिक के रूप में करते चला आ रहे है उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से अवमुक्त किया जाय।

कागजात तहसीलदार बांसी को जांच हेतु भेजा गया तहसीलदार बांसी की जांच आख्या दिनांक 07-02-2019 में यह उल्लेख किया गया है कि आदर्श सोशल डेवलपमेन्ट ट्रस्ट अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक डा0 मिथिलेश मणि त्रिपाठी साकिन अहिरौली तिवारी तप्पा मसिना के निवासी है। ग्राम गौरा तप्पा मसिना में स्थित गाटा सं0 189मि0/0.812 हे0 का स्थलीय निरीक्षण किया उक्त गाटे में प्रार्थी का मकान निर्माणाधीन है। उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वादी द्वारा *न्याय शुल्क के रूप में मु0 40200 रूपया का स्टाम्प दाखिल किया गया। उक्त* भूमि वाणिज्यिक है। वादी द्वारा अकृषिक घोषित करने हेतु मु0 40200 रूपया चलान सं0 सी0145181 दिनांक 01 मार्च, 2019 को जमाकोष कर चलान की मूल प्रति दाखिल किया गया। उक्त भूमि को धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता कें तहत अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान 15.63 पैसा से अवमुक्त किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एंव पत्रावली में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार बांसी की आख्या दिनांक 07.02.19 व नजरी नक्शा संलग्न मय स्थल फोटो व शपथ पत्र उद्धरण खतौनी व अन्य प्रपत्रो का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार बांसी की आख्या दिनांक 07.02.19 की पुष्टि किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम गौरा तप्पा मसिना के खतौनी वर्ष 1422 से 1427 फसली के गाटा सं0 189मि0/0.812 लगान 15.63 पैसा को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से अवमुक्त किया जाता है।आदेश कि एक प्रति उपनिबन्धक बांसी को भेजी जाये।तदुनुसार परवाना निर्गत हो वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

2-3-19

उपजिलाधिकारी

बांसी।

प्राप्ति 02-03-2019

तैयारी 05-03-2019

जारी 05-03-2019

सत्यप्रतिलिपि

05-3-19

अहलमद

उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट

बाँसी-सिद्धार्थनगर